## III वित्त पोषण एवं आवंटन :–

3.1 नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् स्वीकृत योजना के विरूद्ध अधिकतम 20% तक मोबोलाईजेशन अग्रिम (mobilisation advance) हेतु वित्त विभाग के माध्यम से नाबार्ड को मांग पत्र भेजा जाता है जिसे नाबार्ड द्वारा वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाता है। इस योजनान्तर्गत राज्य बजट से ग्रामीण कार्य विभाग को राशि उपलब्ध कराती है।

3.2 बजट को BRRDA में स्थानान्तरित राशि (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना के खाता कैनरा बैंक शाखा गॉधी मैदान में अवस्थित) से संबंधित प्रमंडल को उपलब्ध कराया जाता है और उनके माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन कराया जाता है।

3.3 इस योजना की राशि के लिए बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेन्सी (BRRDA) एक अलग बैंक खाता खोलकर राशि को उसमें रखेगी।

3.4 बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेन्सी (BRRDA) इस राशि की निकासी हेतु आवश्यकतानुसार सभी कार्य प्रशाखा को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर प्राधिकार पत्र निर्गत करेगी जिससे वे इस लेखा से राशि की निकासी कर सकेंगें।

3.5 राशि की उपलब्धता एवं राज्य सरकार द्वारा इसके जिलावार कर्णांकण के अनुसार चयनित पथों का विस्तुत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु Outsourcing के आधार पर तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं भी प्राप्त की जा सकेंगी।

3.6 योजना निर्माण हेतु आवश्कतानुसार भूमि– अधिग्रहण का भी प्रावधान किया जायेगा, किन्तु जिन योजनाओं के लिए पूर्व से भूमि उपलब्ध होगी उन्हें निर्माण में प्राथमिकता दी जायेगी।

3.7 योजना में कराए जाने वाले निर्माण कार्य की विशिष्टि एवं गुणवत्ता का विशेष महत्त्व होगा। योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का भुगतान गुणवत्ता की जांच के उपरांत कराया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राज्य/जिला स्तर से गुणवत्ता नियंत्रकों की जांच के प्रावधान भी रखे जायेंगे।

3.8 राज्य बजट से वित्तीय वर्ष में इस शीर्ष में उपबंधित राशि के अनुरूप ही योजनाएँ स्वीकृत की जायेगी। इस सन्दर्भ में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 96 वि0 (2) दिनांक 03.01.2008 के कण्डिका में दिए गये अनुदेश का पालन किया जायेगा।

विभाग द्वारा निर्गत किया गया प्रगति प्रतिवेदन आवंटन हेतु अधियाचना पत्र एवं